भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2032

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के अंतर्गत की गई प्रगति

†2032. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत देशभर में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि को कम करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा वर्तमान उपलब्धियों का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में फीडर पृथक्करण, स्मार्ट मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु संधोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डिस्कॉमों की परिचालन दक्षता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करने हेतु आरडीएसएस के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेपों के मापन योग्य प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सहायता 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का उद्देश्य पूरे भारत में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि को कम कर 12-15 प्रतिशत के स्तर तक लाना है।

इस स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने तथा एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना तथा मौजूदा उपकेंद्रों का उन्नयन।
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की स्थापना तथा मौजूदा वितरण ट्रांसफॉर्मरों का संवर्धन।
- पुराने कंडक्टरों को बदलना।
- कृषि फीडर पृथक्करण कार्य।
- ग्रिड निगरानी में सुधार हेतु आईटी/ओटी प्रणालियाँ जैसे- पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा)।
- 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों तथा 52.53 लाख डीटी को शामिल करते हुए स्मार्ट मीटरिंग कार्य। स्मार्ट मीटरिंग कार्य से स्वचालित ऊर्जा लेखांकन के माध्यम से यूटिलिटी की बिलिंग दक्षता में सुधार होता है, जिससे लीकेज तथा उच्च हानि वाले क्षेत्रों की पहचान संभव होती है तथा प्रीपेड प्रणाली के माध्यम से यूटिलिटी की वसूली दक्षता में भी सुधार होता है।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों के साथ-साथ इसने यूटिलिटी को सरकारी सब्सिडी तथा सरकारी विभागों के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने, नियमित रूप से टैरिफ आदेश जारी करने, लेखा प्रकाशन, नियामकीय परिसंपत्तियों का सृजन न करने आदि में अनुशासन स्थापित करने में सहायता की है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के सघन प्रयासों तथा किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप देशभर में एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% रह गई है। इसके अतिरिक्त, औसत विद्युत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर भी वित्त वर्ष 2021 के ₹0.69 प्रति किलोवाट-घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2025 में ₹0.06 प्रति किलोवाट-घंटा रह गया है। आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण यूटिलिटी-वार एटीएंडसी हानि तथा निर्धारित लक्ष्यों का विवरण **अनुबंध** पर है।

जहाँ तक कर्नाटक का संबंध है, राज्य ने हानि न्यूनीकरण तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 6,903 घरों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए कर्नाटक के लिए 45 करोड़ रूपये (27 करोड़ रूपये जीबीएस) की लागत वाली घरेलू विद्युतीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से, अब तक 3,260 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 10.14 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 2032

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण यूटिलिटी-वार एटीएंडसी हानि (% में) लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्त वर्ष 21 वास्तविक (आधार)	वित्त वर्ष 25 लक्ष्य	वित्त वर्ष 25 वास्तविक	वित्त वर्ष 26 लक्ष्य
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ईडीएएन	25.30%	17.00%	24.14%	13.00%
2.	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	22.73%	11.54%	7.95%	10.83%
3.	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	20.85%	11.00%	7.70%	9.01%
4.	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	18.65%	15.00%	7.99%	12.78%
5.	अरूणाचल प्रदेश	पीडी	51.82%	28.00%	46.20%	22.00%
6.	असम	एपीडीसीएल	18.73%	15.80%	15.44%	13.00%
7.	बिहार	एनबीपीडीसीएल	31.48%	19.00%	14.49%	16.00%
8.	बिहार	एसबीपीडीसीएल	36.68%	25.00%	16.35%	20.00%
9.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	18.05%	14.32%	14.25%	13.10%
10.	दिल्ली	एनडीएमसी	24.83%	8.00%	8.36%	7.00%
11.	गोवा	जीईडी	12.89%	11.00%	10.39%	10.25%
12.	गुजरात	डीजीवीसीएल	7.40%	7.80%	4.26%	7.70%
13.	गुजरात	एमजीवीसीएल	9.96%	9.81%	8.37%	9.31%
14.	गुजरात	पीजीवीसीएल	17.86%	16.22%	12.73%	15.00%
15.	गुजरात	यूजीवीसीएल	6.76%	7.25%	6.16%	7.20%
16.	हरियाणा	डीएचबीवीएन	16.93%	13.50%	12.20%	12.50%
17.	हरियाणा	यूएचबीवीएन	18.20%	13.50%	11.12%	12.50%
18.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	14.02%	11.53%	19.44%	10.15%
19.	जम्मू एवं कश्मीर	जेपीडीसीएल	52.17%	37.00%	NA	27.00%
20.	जम्मू एवं कश्मीर	केपीडीसीएल	69.84%	44.00%	NA	34.00%
21.	झारखंड	जेबीवीएनएल	43.09%	24.00%	28.19%	19.00%
22.	कर्नाटक*	बेस्कॉम	15.93%	-	12.50%	-
23.	कर्नाटक*	सीईएससी	20.27%	-	8.76%	-
24.	कर्नाटक*	गेस्कॉम	17.73%	-	13.48%	-
25.	कर्नाटक*	हेस्कॉम	14.16%	-	12.14%	-
26.	कर्नाटक*	मेस्कॉम	12.28%	-	10.02%	-
27.	केरल	केएसईबीएल	7.80%	11.50%	6.61%	10.50%
28.	केरल	टीसीईडी	13.48%	8.14%	6.94%	8.00%
29.	लद्दाख	लद्दाख पीडी	48.17%	28.00%	26.82%	20.00%
30.	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य	49.76%	26.99%	29.60%	19.57%
31.	मध्य प्रदेश	एमपी पूर्व	45.39%	24.27%	26.66%	19.49%
32.	मध्य प्रदेश	एमपी पश्चिम	30.28%	16.09%	12.78%	13.40%
33.	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	28.28%	15.50%	18.09%	13.00%

34.	महाराष्ट्र	बीईएसटी	8.18%	7.60%	5.07%	7.50%
35.	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	24.56%	15.50%	12.90%	13.00%
36.	मेघालय	एमईपीडीसीएल	23.37%	21.00%	17.52%	18.00%
37.	मिजोरम	एमपीईडी	29.05%	17.50%	32.31%	14.00%
38.	नागालैंड	डीओपीएन	47.08%	34.00%	48.86%	25.60%
39.	ओडिशा**	टीपीसीओडीएल	25.94%	-	19.11%	-
40.	ओडिशा**	टीपीएनओडीएल	25.59%	-	12.51%	-
41.	ओडिशा**	टीपीएसओडीएल	20.47%	-	23.36%	-
42.	ओडिशा**	टीपीडब्ल्यूओडीएल	22.43%	-	17.64%	-
43.	पुद्दुचेरी	पीईडी	20.12%	14.00%	14.72%	11.56%
44.	पंजाब	पीएसपीसीएल	18.54%	14.00%	19.21%	13.50%
45.	राजस्थान	एवीवीएनएल	21.45%	15.75%	9.22%	14.25%
46.	राजस्थान	जेवीवीएनएल	25.08%	17.70%	13.75%	15.00%
47.	राजस्थान	जेडीवीवीएनएल	31.00%	19.50%	21.42%	16.00%
48.	सिक्किम	सिक्किम पीडी	25.92%	20.00%	21.84%	15.00%
49.	तमिलनाडु	टीएनपीडीसीएल	11.78%	12.40%	10.96%	11.92%
50.	तेलंगाना*	टीजीएनपीडीसीएल	9.03%	-	23.22%	-
51.	तेलंगाना*	टीजीएसपीडीसीएल	15.48%	-	18.51%	-
52.	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	37.36%	23.00%	29.61%	19.00%
53.	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	31.36%	25.26%	19.70%	18.97%
54.	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	32.01%	21.08%	17.70%	17.97%
55.	उत्तर प्रदेश	पीवीवीएनएल	17.85%	15.06%	11.91%	12.69%
56.	उत्तर प्रदेश	पुवीवीएनएल	31.95%	22.75%	30.70%	18.49%
57.	उत्तर प्रदेश	केईएससीओ	12.45%	10.65%	14.29%	8.07%
58.	उत्तराखंड	यूपीसीएल	15.39%	14.99%	15.08%	13.96%
59.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	21.34%	15.50%	17.17%	12.11%
राष्ट्रीय			**21.91%**	**-**	**15.04%**	**-**

*: डिस्कॉम जिन्होंने हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत भाग नहीं लिया।

**: डिस्कॉम आरडीएसएस के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं

********** ***